न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – भगवत शरण त्यागी (आर0 ए0एस0)
प्रकरण संख्या– 01/2023

1– भगवती पत्नी श्री रामवीर जाति वैश्य निवासी ग्राम खेरागढ जिला आगरा।
2– शकुंतला पत्नी श्री ओमप्रकाश जाति वैश्य निवासी ग्राम खेरागढ।
3– स्नेहलता पत्नी श्री विनोदकुमार जाति वैश्य निवासी ग्राम खेरागढ।

बनाम .....सायल / प्रार्थी

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सैपऊ

.....गैरसायल / अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र आधीन धारा 131 एल.आर.एक्ट वास्ते तरमीम संशाधित किये जाने बाबत।

उपस्थिति– 1–श्री हजरत खॉ एडवोकेट .....(सायल / प्रार्थी)

निर्णय

दिनांक: 8.5.2025

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया कि विवादित कृषि भूमि खसरा नं0 653 रकवा 0.2782 हे0 एवं खसरा नम्बर 656 रकवा 0.4932 हेक्टेयर वाके ग्राम कुम्हेरी तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर है। उक्त विवादित कृषि भूमि का क्षेत्रफल मौके पर सही है और उक्त नम्बरान में मुताबिक क्षेत्रफल के अनुसार ही मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा एवं काबिज काश्त है तथा हमेशा से काश्त करते चले आ रही है रिकॉर्ड में मुताबिक रकवा के तरमीम की जानी है। विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 653 में प्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 2/9 भाग प्रार्थी संख्या 2 का 5/9 भाग एवं प्रार्थी संख्या 3 का 2/9 भाग निहित है इसी हैसियत से विवादित कृषि भूमि में प्रार्थीगण सहखातेदार काश्तकार है। विवादित कृषि भूमि 653,656 से लगी हुयी वजानिव दक्षिण में खसरा नम्बर 654 रकवा 0.5184 हे एवं 655 रकवा 0.3541 हे0 स्थित ग्राम कुम्हेरी तहसील सैंपऊ है इसी अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम है जिससे प्रार्थीगण की खातेदारी की विवादित कृषि भूमि का रकवा उक्त लगे हुये नम्बरान में व बन्दोवस्त के समय से गलत सहवन से शामिल हो गया है जिससे दुरूस्त किया जाकर राजस्व नक्शे में प्रार्थीगण की विवादित कृषि भूमि के नक्शे में दुरूस्ती किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत

उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण में आपस में बटवारा कराना चाह तो हाल पटवारी गढी चटोला से सम्पर्क किया तो हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण को उक्त नक्शें में क्षेत्रफल कम होने की जानकारी दी तथा मौके पर फौरी पैमायश कर बताया कि मौके पर प्रार्थीगण का कब्जे में पूर्ण रकवा है लेकिन राजस्व नक्शे में कम रकवा है। विवादित कृषि भूमि के राजस्व नक्शा अक्श में उक्त नम्बरान के क्षेत्रफल के मुताबिक नक्शा की तरमीम करने को हल्का पटवारी ने संशोधन से स्पष्ट मना कर दिया तथा कथन किया की कि उक्त गलती को सक्षम न्यायालय द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। इसलिये सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया। प्रार्थना पत्र के अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी की विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 653 रकवा 0.2782 हे0 व खसरा नम्बर 656 रकवा 0.4932 हेक्टेयर वाकेग्राम कुम्हेरी मौके एवं क्षेत्रफल के अनुसार प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि की गलत तरमीम को संशोधित की जाकर प्रार्थीगण की मौके के कब्जे के अनुसार दुरूस्त तरमीम नक्शा अक्स में की जावें। तथा प्रार्थीगण का रकवा मौके पर मुताबिक कब्जा पूरा किया जाकर संशोधित तरमीम राजस्व नक्शें में की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये। तहसीलदार सैपऊ स्वयं उपस्थित हुये एवं जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। वकील प्रार्थी की ओर से दस्तावैजी साक्ष्य में नकल जमावन्दी संवत 2076–79 खाता संख्या 306 वाके ग्राम कुम्हेरी, नकल जमावन्दी संवत 2076–79 के खाता संख्या 190 वाके ग्रम कुम्हेरी, नकल नक्शा ट्रेस ख.न. 652, 653, 654, 655, 656 ग्राम कुम्हेरी तह0 सैंपऊ , नक्शा किश्तबार मौजा कुम्हेरी तहसील सैंपऊ हाल खसरा नम्बर 652,653,655,656 की छायाप्रति प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी अभिभाषक की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराहा गया। एवं तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि विवादित कृषि भूमि ख.न. 653 वर्तमान में रिकॉर्ड में दर्ज क्षेत्रफल के मुताबिक रकवा कम हैं। विवादित कृषि भूमि ख.न. 653 पूर्व में ख.न 656 से लगी हुई है एवं दक्षिण में ख.न. 654 से रकवा 0.5184 हे. से लगी है एवं ख.न. 656 के दक्षिण में ख.न. 655 रकवा 0.3541 हे. भूमि ग्राम कुम्हे सैंपउ में राजस्व नक्शे में तरमीम अनुसार नम्बर मौजूद है जिसमें प्रार्थीगण खातेदारी की विवादित कृषि भूमि का रकवा उक्त लगे हुए नम्बरान में बंदोवस्त के समय सहवन से तरमीम में रकवे के अनुपात में तरमीम नहीं की है जबकि ख.न. 652,653,654 बंदोवस्त से पूर्व खसरा नम्बर 451 से बने एवं ख.न. 655 व 656 ख.न. 452 से बने हुए है । किस्तवार तरमीम में ह

Scanned with CamScanner

हुई है जो दुरूस्ती किए जाने योग्य है। ख.न. 653 का रकवा 654 में वेसी (अधिक) है जो ख.न. 654 से कम किया जाना उचित है। जबकि ख.न. 656 वर्तमान नक्शा शीट के मुताबिक बराबर है। तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रार्थना–पत्र के अंकित तथ्यों को स्वीकार किया गया। तथा तहसीलदार सैंपऊ द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ ख.न. 653 ग्राम कुम्हेरी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत शुद्धि करने हेतु प्रस्ताव भी भिजवाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्यो से हम पूर्णतया सहमत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार करना उचित समझते है।

अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 131 एल.आर.एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 653 रकवा 0.2782 हे0 वाकेग्राम कुम्हेरी के राजस्व अभिलेख नक्शे में हुई त्रुटिपूर्ण तरमीम को संशोधित किया जाकर तहसीलदार सैपऊ द्वारा भिजवाये गये प्रस्ताव अनुसार आराजी खसरा नम्बर 653 की तरमीम को राजस्व नक्शे में दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार सैपऊ द्वारा भिजवाया गया तरमीम प्रस्ताव कमांक राजस्व/2023/272 दिनांक 03.08.2023 निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सैपऊ को पालना हेतु तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 8.5.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ

(भगवत शरण त्यागी)
उपखण्डाधिकारी
सैपऊ

Scanned with CamScanner